चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान (हनुमान लोक)

सांवली, तह.सौंसर, जिला-पांढुर्णा (म.प्र.)

पंजीयन क्र. 01/2025

पत्र क्र. SHMJ/Quat./25-26/03 दिनांक : 13/03/2025

आरती भोग (लड्डू) प्रसाद आपूर्ति हेतु भावपत्र आमंत्रण सुचना पत्र

चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान, (हनुमान लोक) सावली, तहसील सौंसर, जिला पांढुर्णा द्वारा आरती भोग (लडडु) प्रसाद आपूर्ति हेतु 01 वर्ष के लिये पात्र व्यक्तियों/संस्था से निविदा आमंत्रित की जाती है ।
भावपत्र से संबंधित नियम, शर्तों की जानकारी विवरण निम्नानुसार है –

कार्य का स्वरुप
4 लडडु का बॉक्स टाईप प्रिटेंड पैकेट जिसका वजन 125 ग्राम (केवल लड्डु का वजन) हो, जो शुध्द घी बेसन, चीनी, काजु, किशमिस उच्च गुणवत्ता सामग्री से बना हो उसकी आपूर्ति प्रति माह 10 हजार पैकेट (आवश्यकता अनुसार बढाए अथवा घटाए जा सकते है।

आरती भोग (लड्डु) प्रसाद आपूर्ति हेतु अर्हतांए

- निविदाकर्ता का व्यवसाय पंजीकृत होना चाहिए (स्वामित्व / साझेदारी / कंपनी / सहकारी संस्था)।
- खाद्य उत्पादन और वितरण हेतु वैध FSSAI लाइसेंस अनिवार्य ।
- GST पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- FSSAI, ISO,खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन एवं पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य।
- संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

नोट :– सभी आवश्यक दस्तावेजो /प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति भावपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नियम व शर्ते

- प्रशिक्षित श्रमिकों एवं आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता।
- गुणवत्ता परीक्षण के लिए निविदा के साथ (लड्डू प्रसाद) के नमूने प्रस्तुत करने होंगे एवं गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर ही निर्णय लिया जायेगा ।
- आपूर्तिकर्ता को परिवहन लागत वहन करनी होगी और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- आपूर्ति किए गए आरती भोग लड्डू प्रसाद किसी भी कृत्रिम संरक्षक (Preservative) के बिना होने चाहिए।
- न्यास सूचना देकर किसी भी समय निविदा को रद्द या संशोधित कर सकता है।
- गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं या आपूर्ति में विफलता की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- सफल निविदाकार की घोषणा पश्चात कार्य संपादन हेतु न्यास एवं निविदाकार के मध्य अनुबंध का निष्पादन होगा ।
- अनुबंध के समय 3 लाख रुपये नगदी /FD के रुप में सुरक्षा निधि के रुप में जमा करने होगे जो की कार्य समाप्ती के 1 माह पश्चात वापसी होगी ।
- यदि माल की आपूर्ति मांग के अनुसार नहीं की जाती है, या उसकी गुणवत्ता/मात्रा उचित नहीं होती है, अथवा निर्धारित समय सीमा के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो **न्यास** की आवश्यकताओं में कोई बाधा न आए, इसके लिए द्वितीय, तृतीय न्यूनतम निविदाधारक या अन्य आपूर्तिकर्ताओं से बाजार मूल्य पर आवश्यकतानुसार लड्डू प्रसाद की खरीद की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त लागत का अंतर आपूर्तिकर्ता के बिल से या सुरक्षा जमा **निधी** से वसूल किया जाएगा।
- मंज़ूर किए गए दर पर एवं मांग के अनुसार लड्डू की आपूर्ति करना आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी रहेगा। स्वीकृत दर में किसी भी कारण से मूल्य वृद्धि न तो दी जाएगी और न ही इसकी मांग की जा सकेगी। यदि आपूर्तिकर्ता लड्डू की आपूर्ति करने से इनकार करता है, तो न की गई आपूर्ति के मूल्य के बराबर सुरक्षा **निधी से न्यास के** खाते में जमा की जाएगी।
- आपूर्ति किए जाने वाले लड्डू की अनुमानित मांग आने वाले भक्तों की संख्या कम या अधिक होने के कारण घट या बढ़ सकती है।

- आपूर्ति अवधि के दौरान शासकीय कार्यालय द्वारा कर या उपकर की दरों में कोई परिवर्तन होने पर इस संबंध में **न्यास से** कोई मांग नहीं की जा **सकेगी** यदि आपूर्तिकर्ता ने लड्डू **प्रसाद** की आपूर्ति बीच में ही बंद कर दी और इस कारण पुनः निविदा जारी कर माल की खरीद करनी पड़ी, तो विज्ञापन खर्च, निविदा प्रक्रिया का अन्य सभी समावेशी खर्च और इससे होने वाली कुल हानि की भरपाई आपूर्तिकर्ता से वसूली जाएगी।
- आपूर्ति अवधि के दौरान यदि किसी आपदा/प्राकृतिक आपत्ति (जैसे आग, बाढ़, दंगा, महामारी, हड़ताल, विस्फोट, लॉकडाउन, भूकंप आदि) के कारण, जो आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो, वह **लड्डु प्रसाद** की आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है और इससे उसे कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए **न्यास** जिम्मेदार नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्ता को **न्यास** द्वारा निर्धारित या निर्दिष्ट मात्रा में ही उत्तम गुणवत्ता और सही विधि से बने लड्डू **प्रसाद** की आपूर्ति करनी होगी। कम गुणवत्ता या निम्न स्तर के लड्डू **प्रसाद** स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपूर्ति किए गए लड्डू **प्रसाद** की मात्रा, विधि और गुणवत्ता की विभाग द्वारा जांच और मापतौल के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
- उक्त कार्य के लिए एडवांस राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- आपूर्तिकर्ता के पास खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ एवं इसके तहत बने नियम २०११ के अनुसार लाइसेंस होना आवश्यक है। यदि आपूर्तिकर्ता लड्डू **प्रसाद** के लिए सामग्री किसी व्यापारी से खरीद रहा है, तो उस व्यापारी के पास भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ एवं नियम २०११ के तहत लाइसेंस होना अनिवार्य है
- खाद्य एवं औषध प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन के नियमों एवं विनियमों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन आपूर्तिकर्ता के लिए मान्य होंगे।
- लड्डू प्रसाद तैयार करने के लिए उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की expired सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- 4 लड्डू प्रसाद का वजन न्यूनतम 125 ग्राम होना चाहिए। यदि वजन में अंतर पाया जाता है, तो भुगतान नहीं किया जाएगा।
- यदि **न्यास** को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए लड्डू प्रसाद में कंकड़, कीड़े, बाल या अन्य हानिकारक वस्तुएं पाई जाती हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी, और **न्यास** द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।
- लड्डू प्रसाद के उत्पादन केंद्र का प्रत्येक तीन माह में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा खाद्य सुरक्षा ऑडिट कराया जाना आवश्यक है तथा उसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए लड्डू प्रसाद के सेवन से विषाक्तता (फूड पॉइजनिंग) या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक हानि होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। इसके लिए आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कानूनी व आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रभावित भक्तों के चिकित्सा उपचार का खर्च व अन्य संबंधित व्यय वहन करने की पूरी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। इस संबंध में **न्यास** किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- यदि **भावपत्र** में उल्लेखित कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी अन्य आपूर्तिकर्ता को कार्य सौंपने की बात पाई जाती है, तो **न्यास द्वारा उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा तथा** सुरक्षा **निधी** जब्त कर ली जाएगी।
- आपूर्ति कार्य का भुगतान प्रस्तुत करते समय, उसमें आदेश में उल्लिखित विवरण के अनुसार संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इसमें हस्तलिखित प्रविष्टियाँ नहीं की जानी चाहिए। भुगतान बिल मुद्रित (छपा हुआ) होना चाहिए, जिसमें बिल नंबर, तिथि, सामग्री का विवरण, दर, जीएसटी, हस्ताक्षर, मुहर और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए।
- **भावपत्र को** स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, आपूर्तिकर्ता को 07 दिनों के भीतर सुरक्षा **निधी न्यास** के पास जमा करनी होगी। यह **निधी** एक वर्ष के लिए वैध होगी या यदि निविदा की अवधि बढ़ाई जाती है, तो उस अवधि तक **न्यास** के पास जमा रहनी चाहिए। यदि **भावपत्र प्रपत्र में** उल्लेखित कार्य को लेकर कोई विवाद नहीं होता है, तो कार्य अवधि समाप्त होने के बाद सुरक्षा **निधी** वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा **निधी** पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- **न्यास** किसी भी **भावपत्र** को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा सभी **भावपत्रों** को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई कारण बताने या स्पष्टीकरण देने के लिए **न्यास** बाध्य नहीं **होगा**।
- **न्यास** को कार्यादेश के अनुसार किए जा रहे कार्य का किसी भी समय निरीक्षण और परीक्षण करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- **भावपत्र** स्वीकृति के बाद 07 दिनों के भीतर अनुबंध तैयार कर १००० /- के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि **निर्धारित** समय में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किया जाता या इसमें टालमटोल की जाती है, तो कार्यादेश रद्द कर दिया जाएगा।
- **न्यास** द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश अथवा शर्तों एवं नियमों में किए गए संशोधन आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगे।
- इस कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया केवल सौसर न्यायालय के अंतर्गत रहेगी।

प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया:–

इच्छुक आरती भोग लड्डू प्रसाद आपुर्तिकर्ता, दिनांक 20/03/2025, समय दोप. 3.00 बजे तक अपनी सीलबंद भावपत्र (कोटेशन) दिये गए निर्धारित फार्मेट में आवश्यक दस्तावेजों सहित, सचिव– चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान, तह. सौंसर, जि. पांढुर्णा को संबोधित करके hanumanmandir.sawali@gmail.com मेल पर तथा न्यास कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।

नोट – चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान किसी भी भावपत्र (कोटेशन) को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

गोपाल शर्मा
(अध्यक्ष)
चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान
(हनुमान लोक)
सावंली, तहसील–सौंसर, जिला–पांढुर्णा

टिकाराम कारोकार
सचिव
चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान
(हनुमान लोक)
सावंली, तहसील सौंसर, जिला–पांढुर्णा

भावपत्र (कोटेशन)
आरती भोग (लड्डू) प्रसाद आपूर्ति हेतु

प्रति,
सचिव,
चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान, (हनुमान लोक)
सावंली, तह. सौंसर, जिला – पांढुर्णा

आपकी विज्ञप्ति पत्र क्र. SHMJ/Quat./25-26/03, दिनांक : 13/03/2025 के अनुसार संदर्भित कार्य हेतु हमारा प्रस्ताव निम्नानुसार है –

1. व्यक्ति/Firm का नाम : _____
2. पता : _____
   : _____
3. वर्तमान पता : _____
   : _____
4. पेन कार्ड नंबर : _____
5. योग्यता : _____
6. बैंक अकांउट विवरण : _____
   : _____

क्र.	विवरण	प्रति पैकेट दर (रुपये में)
1.	4 लड्डु का बॉक्स टाईप प्रिंटेंड पैकेट जिसका वजन 125 ग्राम (केवल लड्डु का वजन) हो, जो शुध्द घी बेसन, चीनी, काजु, किशमिस उच्च गुणवत्ता सामग्री से बना हो उसकी आपूर्ति प्रति माह 10 हजार पैकेट (आवश्यकता अनुसार बढाए अथवा घटाए जा सकते है)	

धन्यवाद !

हस्ताक्षर एवं सील